न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 22 / 2021 (अपील)

GCMS No. 2021/151

1. श्रीमति सत्यवती पत्नि स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 7–बी–6 विज्ञान नगर कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. रजनी शर्मा पत्नि श्री उमाकांत शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी मकान नम्बर 7–बी–6 विज्ञाननगर कोटा राज0
2. उमाकांत शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी मकान नम्बर 7–बी–6 विज्ञान नगर कोटा राज0

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2010 बनाराजगी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट कोटा बउनवान श्रीमति सत्यवती बनाम श्रीमति रजनी शर्मा व अन्य मि0नं0 112 / 2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021

उपस्थितः–

1. **श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री रामगोपाल चतुर्वेदी, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1**

दिनांकः– 25 / 08 / 2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2010 के तहत सुनवाई कर दिनांक 22.02.2021 को आदेश पारित किया कि–" प्रकरण में वाद कारण प्रथम दृष्ट्या ही पति–पत्नि के मध्य घरेलू हिंसा से सम्बन्धित होना जाहिर होता है जिसका समाधान न्यायालय हाजा में किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थीया द्वारा भरण –पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 01.04.2021 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 आर्बिट्रेरी, केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा कानूनी सिद्वांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था कि उपरोक्त सम्पत्ति की वर्तमान में अपीलांट बहैसियत मालिक चली आ रही है और अपीलांट एक वरिष्ठ महिला है तथा रेस्पो. नम्बर–1 का व्यवहार क्रूरतापूर्ण रहा है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत एफ आई आर संख्या 247 / 2020 जो कि पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा में रेस्पो. नम्बर 1 के विरूद्व दर्ज है उससे भलीभांति साबित होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते कि रेस्पो. नम्बर–1 द्वारा रेस्पो0 नम्बर–2 के विरूद्व न्यायालय एसीजेएम नम्बर–4 कोटा में घरेलू हिंसा के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है इसी को आधार मानते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. नम्बर–1 व 2 के मध्य कोई विवाद है तो उपरोक्त विवाद से अपीलांट का उपरोक्त सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु

जिला कलेक्टर
कोटा

पर कोई गौर किए बिना ही निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 पारित किया है जो निरस्तनीय है । राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम जो बनाया गया है उसकी मंशा वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति को सुरक्षा एवं संरक्षता दिए जाने का है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा स्वयं का स्वामित्व एवं रेस्पो. नम्बर–1 का क्रूरतापूर्ण आचरण साबित करने के उपरांत भी मात्र रेस्पो. नम्बर 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सहानुभूति प्राप्त करने के आशय से ड्रामा करने के कारण उपरोक्त निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि उपरोक्त सम्पत्ति की मालिक अपीलांट है तथा वरिष्ठ नागरिक है तथा रेस्पो. नम्बर–1 द्वारा ना तो कोई विद्युत एवं नल के चार्जेज दिए जा रहे है बल्कि अपीलांट के साथ मारपीट करके प्रताडित किया जा रहा है तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो0 नम्बर 1 के कब्जे वाले फस्ट फ्लोर पर स्थित पोर्शन का खाली कब्जा अपीलांट को दिए जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके भारी त्रुटि की है । अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त किया जावें तथा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो. से उनके कब्जे वाला पोर्शन प्रार्थना पत्र में वर्णित है को खाली करके कब्जा अपीलांट को दिलवाए जाने के आदेश पारित किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया । रेस्पो. नं0 1 की ओर से श्री रामगोपाल चतुर्वेदी एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ तथा रेस्पो0 नं0 2 की ओर से एडवोकेट एम एम केसरी का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 नम्बर–1 के अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पो–02 के अधिवक्ता एवं स्वयं रेस्पो0–02 दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपीलांट एवं रेस्पो0 –01 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था कि उपरोक्त सम्पत्ति की वर्तमान में अपीलांट बहैसियत मालिक चली आ रही है और अपीलांट एक वरिष्ठ महिला है तथा रेस्पो. नम्बर–1 का व्यवहार क्रूरतापूर्ण रहा है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत एफ आई आर संख्या 247/2020 जो कि पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा में रेस्पो. नम्बर 1 के विरूद्व दर्ज है उससे भलीभांति साबित होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते कि रेस्पो. नम्बर–1 द्वारा रेस्पो0 नम्बर–2 के विरूद्व न्यायालय एसीजेएम नम्बर–4 कोटा में घरेलू हिंसा के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है इसी को आधार मानते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. नम्बर–1 व 2 के मध्य कोई विवाद है तो उपरोक्त विवाद से अपीलांट का उपरोक्त सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई गौर किए बिना ही निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 पारित किया है जो निरस्तनीय है । राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम जो बनाया गया है उसकी मंशा वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति को सुरक्षा एवं संरक्षता दिए जाने का है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा स्वयं का स्वामित्व एवं रेस्पो. नम्बर–1 का क्रूरतापूर्ण आचरण साबित करने के उपरांत भी उपरोक्त निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2021 त्रुटिपूर्ण है जिसे निरस्त किया जावें तथा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो. से उनके कब्जे वाला पोर्शन प्रार्थना पत्र में वर्णित है को खाली करके कब्जा अपीलांट को दिलवाए जाने के आदेश पारित किया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पो0 नम्बर–1 द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 कम–2 ने मिली–भगत करके मात्र रेस्पो0 कम 1 को घर से निकालना चाहते है, तथा रेस्पो0 कम–2 रेस्पो0 कम–1 से तलाक चाहता है किन्तु तलाक में असफल होने के कारण इस अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 कम–1 को घर से बेदखल कर घर से निकालने का पेश किया किया जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । रेस्पो0 कम–1 को अपीलांट एवं रेस्पो0 नम्बर–2 दौनों के द्वारा मिलकर प्रताड़ित किया जाता है तथा घर से निकालना चाहते है, इस बाबत मुझ रेस्पो0 कम–1 द्वारा रेस्पो0 कम–2 उमाकांत शर्मा जो रेस्पो0 कम–1 का पति है एवं अपीलान्टा सत्यवती पत्नि स्व. सुरेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्व माननीय सिविल न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–4 कोटा में घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराया था जिसमें आदेश दिनांक 26.2.2021 के तहत बतौर भरण पोषण राशि 6,000/– तथा पुत्रियों को 2–2 हजार प्रत्येक को प्रतिमाह अदा करने का एवं घरेलू हिंसा कारित नहीं करने का आदेश पारित किया है, इसी वजह से प्रार्थीया अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 2 द्वारा यह अपील पेश की गई है । अतः रेस्पो0 कम 1 की परिस्थितियों को मध्यनजर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 22.02.2021 के विरूद्व दिनांक 01.04.2021 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद पेश है।

7. यह अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2010 के तहत पेश की गई है, प्रार्थीया अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2020 पति पत्नि के मध्य घरेलू हिंसा से सम्बन्धित होने से खारिज किया गया है । वकील रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा फर्द के साथ माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–4 कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.2021 पेश किया, जिसमें प्रार्थीया अपीलान्ट सत्यवती एवं अप्रार्थी रेस्पो0 कम–2 को घरेलू हिंसा नहीं करने एवं रेस्पो0 कम–1 को बतौर भरण पोषण हेतु 6000/– प्रतिमाह भुगतान हेतु पाबन्द किया हुआ है तथा माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिये हुए है कि प्रार्थीया यानि इस अपील में रेस्पो0 कम–1 रजनी शर्मा को उसके वर्तमान में निवास कर रहे स्थान से बेदखल नहीं करें । अपीलान्ट की मुख्य प्रार्थना मात्र मात्र रेस्पो0 कम–1 अपनी पुत्रवधु को घर से निकालने की है, रेस्पो0 कम–2 की ओर से एडवोकेट एम एम केसरी का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु दौराने बहस न तो रेस्पो0 कम–2 उमाकान्त शर्मा उपस्थित हुआ ओर ना ही उनका वकील । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.2.2021 में हस्तक्षेप करने के कोई ठोस आधार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा का आदेश दिनांक 22.02.2021 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक **25.08.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा